न्यायालय सहायक कलक्टर, बाप जिला जोधपुर

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. पूनाराम पुत्र बलवन्ताराम 2. जसराज पुत्र बलवन्ताराम 3. उमेश कुमार पुत्र बलवन्ताराम जाति बिश्नोई निवासी मूंजासर तहसील फलोदी जिला जोधपुर।		1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, बाप 2. उप पंजीयक, बाप जिला जोधपुर

दावा अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :- 110/2018

उपस्थित :-

1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता वादीगण की तरफ से
2. प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक :- 15-01-2020

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 953/14 रकबा 25-00 बीघा, सरहद मौजा जयसिंहनगर पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में वादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीद के बाद से बहैसियत खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज चली आ रही है। वादीगण के नाम से वादीगण के पिता बलवन्ताराम ने उपरोक्त वर्णित भूमि खरीद कर दी है, जिस बैचाननामा में लिपिकिय त्रुटिवश वादी सं. 1 का नाम पूनमाराम, वादी सं. 2 का नाम जसूराम तथा वादी सं. 3 का नाम रमेशराम दर्ज हो गया तथा बैचानकर्ता का देहान्त हो जाने से शुद्धि पत्र भी नहीं किया जा सकता है इसलिये वादीगण को वर्तमान राजस्व वाद के अलावा अन्य विधिक अनुतोष नहीं होने से तथा कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में नाम शुद्धि हेतु यह वाद वास्ते रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होने से प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगण राजस्व रेकर्ड में वादीगण के गलत नाम दर्ज चले आ रहे है जबकि वादी सं. 1 का सही एवं वास्तविक नाम पूनाराम, वादी सं. 2 का सही एवं वास्तविक नाम जसराज तथा वादी सं. 3 का सही एव वास्तविक नाम उमेश कुमार है जो वादीगण के आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र इत्यादि में दर्ज है। वादीगण अभी वादग्रस्त भूमि पर के.सी.सी. उठाने हेतु बैंक गये तो बैंक के शाखा प्रबन्धक ने वादीगण को के. सी. सी. देने से मना कर दिया और कहा कि उक्त राजस्व रेकर्ड में तुम्हारा नाम गलत दर्ज है। इसलिये हम तुम्हें के. सी. सी. नहीं दे सकते है, तब वादीगण पटवारी हल्का के पास गये तो पटवारी हल्का ने बताया कि तुम्हारा नाम राजस्व रेकर्ड में गलती से पूनमाराम, जसूराम व रमेश कुमार दर्ज हो गया है तब वादी ने पटवारी हल्का से जमाबंदी की प्रति लेकर प्रतिवादी के पास दिनांक 24/06/2018 को जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज अपने गलत नाम को सही करने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी ने वादीगण के

Scanned by CamScanner

...सही करने से मना कर दिया और कहा कि आप सक्षम न्यायालय मे चाराजोई करो। इसलिये उक्त ...द को पेश करने की आवश्यकता हुई। इसलिये वादीगण उक्त विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 953/14 ...बा 25-00 बीघा, सरहद मौजा जयसिंहनगर पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज अपने गलत नाम वादी सं. 1 पूनमाराम के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम पूनाराम, वादी सं. 2 के नाम जसुराम के स्थान पर सही एव वास्तविक नाम जसराज तथा वादी सं. 3 के नाम रमेशराम के स्थान पर सही एव वास्तविक नाम उमेश कुमार के नाम से खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सरकारी पैरोकार तहसीलदार बाप ने स्वयं उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया जिसमें वादीगण के वाद का विरोध नहीं किया गया और माफिक इस्तदुआ के गुणावगुण के आधार पर वादी सं. 1 पूनमाराम के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम पूनाराम, वादी सं. 2 के नाम जसुराम के स्थान पर सही एव वास्तविक नाम जसराज तथा वादी सं. 3 के नाम रमेशराम के स्थान पर सही एव वास्तविक नाम उमेश कुमार के नाम से खातेदारी की घोषणा किया जाना न्याय संगत होना बताया चूंकि वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण की तरफ से प्रतिरोध नहीं किया गया, इसलिये वाद मे तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण की ओर से वादी सं. 1 द्वारा साक्ष्य का शपथ पत्र पेश करके वादीगणों के सही व वास्तविक नाम के वाद के साथ पेश किये गए दस्तावेज को प्रदर्श मार्क करवाये गये। प्रतिवादीगण अपनी ओर से कोई साक्ष्य नहीं करवाना चाहते इसलिये साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद की जाकर पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुवे कहा कि वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 953/14 रकबा 25-00 बीघा, सरहद मौजा जयसिंहनगर पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप में स्थित है। वादीगण हर वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग उपयोग करते आ रहे है। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं साक्ष्य शपथ पत्र के आधार पर वादीगण का सहीं एवं वास्तविक नाम पूनाराम, जसराज व उमेश कुमार है लेकिन उक्त विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में पटवारी हल्का द्वारा भूलवश गलती से वादी सं. 1 का नाम पूनाराम के स्थान पर पूनमाराम, वादी सं. 2 का नाम जसराज के स्थान पर जसुराम व वादी सं. 3 का नाम उमेश कुमार के स्थान पर रमेश कुमार दर्ज कर दिया है जो सरासर गलत है जो एक लिपिकिय एवं मानवीय भूल है। इसलिये वादीगण उक्त विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 953/14 रकबा 25-00 बीघा, सरहद मौजा जयसिंहनगर पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादी सं. 1 के गलत नाम पूनमाराम के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम पूनाराम, वादी सं. 2 के गलत नाम जसुराम के स्थान पर सही एव वास्तविक नाम जसराज तथा वादी सं. 3 के गलत नाम रमेशराम के स्थान पर सही एव वास्तविक नाम उमेश कुमार के नाम से राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जावे।

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में बताया कि माफिक इस्तदुआ गुणावगुण के आधार पर व वादी सं. 1 के गलत नाम पूनमाराम के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम पूनाराम, वादी सं. 2 के गलत नाम जसुराम के स्थान पर सही एव वास्तविक नाम जसराज तथा वादी सं. 3 के गलत नाम रमेशराम के स्थान पर सही एव वास्तविक नाम उमेश कुमार के नाम की घोषणा की जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरुस्ती किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 वादीगण के नाम से बने पेन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा साक्ष्य शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान जमाबंदी में वादी सं. 1 का नाम पूनमाराम, वादी सं. 2 का नाम जसुराम व वादी सं. 3 का नाम रमेश कुमार दर्ज है जबकि वादी सं. 1 का सही एवं वास्तविक नाम पूनाराम, वादी सं. 2 का सही एवं वास्तविक नाम जसराज तथा वादी सं. 3 का सही एव वास्तविक नाम उमेश कुमार है जो पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्यों से बखुबी प्रमाणित है। वादीगण ने अपने वाद को दस्तावेजात् से साबित किया है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम जयसिंहनगर पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 953/14 रकबा 25–00 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज वादी सं. 1 का गलत नाम पूनामाराम, वादी सं. 2 का गलत नाम जसूराम तथा वादी सं. 3 का गलत नाम रमेश कुमार को दुरस्त किया जाकर वादी सं. 1 को उसके सही एंव वास्तविक नाम पूनाराम, वादी सं. 2 को उसके सही एवं एवं वास्तविक नाम जसराज तथा वादी सं. 3 को उसके सही एव वास्तविक नाम उमेश कुमार के नाम से राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किये जाने का आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करावे। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो, शेष प्रविष्टिया यथावत रहे, पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2020 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सहायक कलक्टर
बाप (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh
Date: 2020.01.20 12:52:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: